न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/124

दायरा दिनांक : 21.07.2023

उनवान

मोहनलाल आयु 57 साल आत्मज दयाराम दत्तक पुत्र कंवरिया उर्फ कंवरलाल, जाति मेघवाल (चमार) निवासी ग्राम बीरीयाखेड़ी कलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1 छीतरलाल आत्मज नारायन, जाति मेघवाल (चमार) निवासी ग्राम बीरीयाखेड़ी कलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)
2 रत्तीराम आत्मज दयाराम, जाति मेघवाल (चमार) निवासी ग्राम बीरीयाखेड़ी कलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)
3 रोडू आत्मज दयाराम, जाति मेघवाल (चमार) निवासी ग्राम बीरीयाखेड़ी कलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)
4 रामसिंह आत्मज हरलाल, जाति मेघवाल (चमार) निवासी ग्राम बीरीयाखेड़ी कलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)
5 रामचन्द्र आत्मज हरलाल, जाति मेघवाल (चमार) निवासी ग्राम बीरीयाखेड़ी कलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)
6 कालीबाई पुत्री हरलाल, जाति मेघवाल (चमार) निवासी ग्राम बीरीयाखेड़ी कलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)
7 कौशल्याबाई पुत्री हरलाल, जाति मेघवाल (चमार) निवासी ग्राम बीरीयाखेड़ी कलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)
8 कमलीबाई पुत्री हरलाल, जाति मेघवाल (चमार) निवासी ग्राम बीरीयाखेड़ी कलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)
9 धापूबाई पुत्री हरलाल, जाति मेघवाल (चमार) निवासी ग्राम बीरीयाखेड़ी कलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)
10 अनोखबाई पुत्री हरलाल, जाति मेघवाल (चमार) निवासी ग्राम बीरीयाखेड़ी कलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)
11 भंवरीबाई पुत्री हरलाल, जाति मेघवाल (चमार) निवासी ग्राम बीरीयाखेड़ी कलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)
12 दुर्गालाल आत्मज देवीलाल, जाति मेघवाल (चमार) निवासी ग्राम बीरीयाखेड़ी कलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)
13 तूफानसिंह आत्मज देवीलाल, जाति मेघवाल (चमार) निवासी ग्राम बीरीयाखेड़ी कलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)
14 रेखा पुत्री देवीलाल, जाति मेघवाल (चमार) निवासी ग्राम बीरीयाखेड़ी कलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)
15 अवन्ती पुत्री देवीलाल, जाति मेघवाल (चमार) निवासी ग्राम बीरीयाखेड़ी कलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)
16 मांगीबाई बेवा देवीलाल, जाति मेघवाल (चमार) निवासी ग्राम बीरीयाखेड़ी कलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)
17 मांगीबाई पुत्री नारायन, जाति मेघवाल (चमार) निवासी ग्राम बीरीयाखेड़ी कलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)
18 सुगनबाई पुत्री नारायन, जाति मेघवाल (चमार) निवासी ग्राम बीरीयाखेड़ी कलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)
19 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा0 तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित । श्री संजय सक्सैना अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री पूरीलाल राठौर अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 15.02.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या 742/18 निर्णय दिनांक 11.01.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बिरियाखेडी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0) संवत 2063 से 2066 के अनुसार खतौनी संख्या नई 136 व पुरानी 46 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 156 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 176 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 177 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 227 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 572 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 619 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा कुल खसरा 6 किता कुल क्षेत्रफल 15 बीघा 11 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय दिनांक 11.01.2023 से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के पूर्व निर्णय 09.08.2010 एवं फाईनल डिक्री दिनांक 14.09.2010 में हम किसी प्रकार का संशोधन करना उचित नहीं समझते हैं। अतः इस न्यायलय का पूर्व निर्णय एवं फाईनल डिक्री का आदेश यथावत रखा, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.01.2023 को निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलान्ट ने दिनांक 24.01.2023 को नकल का प्रार्थना पत्र दिया । जिस पर निर्णय की नकल दिनांक 26.01.2023 को मिली । इस प्रकार अपील अन्दर मियाद काबिल समाअत अदालत हाजा उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 09.08.2010 एवं निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 14.09.2010 को पारित की गई थी। अपीलान्ट ने निर्णय व डिक्री तथा निर्णय व अन्तिम डिक्री की अपील माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी व पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष की थी। माननीय अपील न्यायालय के द्वारा दिनांक 12.01.2012 को निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा निर्णय व अन्तिम डिक्री को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय मे इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया था कि प्रतिवादीगण के द्वारा पेश किये गये जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम करे और यदि इन तनकीयात के बाबत पक्षकारान कुछ अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना चाहते है तो उन्हें अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। साथ ही दावे में कायम की गई तकनीकी खामिया जो पैरा नम्बर 09 में उल्लेखित की गई है उनको भी संशोधित किया जावे। पत्रावली पर मोहनलाल अपीलान्ट के बयान शामिल है परन्तु इसमें भी डी० डब्ल्यू0 नम्बर अंकित नहीं है इस पर भी डी० डब्ल्यू0 नम्बर अंकित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा माननीय अपील न्यायालय के निर्णय की पालना नहीं की गई तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बिना किसी प्रकार की सुनवाई किये दिनांक 11.01.2023 को निर्णय पारित कर दिया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में कानूनी एवं तथ्ययपूर्ण गलती की है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है।

माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी व पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 12.01.2012 के बाद अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.03.2012 को पत्रावली प्रस्तुत हुई थी अधीनस्थ न्यायालय ने अतिरिक्त तनकी कायम करने का आदेश दिया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई अतिरिक्त तनकी कायम नहीं की गई तथ अपीलीय न्यायालय के निर्णय की किसी भी तरह की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना किसी आधार के अपीलान्ट के निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में कानूनी एवं तथ्यपूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.05.2012 को धारा 144 सी०पी०सी० का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था इस प्रार्थना पत्र का अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 27.09.2012 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.09.2012 के विरुद्ध अपील माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी। माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के द्वारा निर्णय दिनांक 23.08.2016 को अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.09.2012 को अपास्त कर दिया तचा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.08.2010 व 14.09.2010 की अनुपालना में खोले गये इन्तकाल से पूर्व की स्थिति कायम रखने का आदेश था अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलीय न्यायालय के निर्णय की किसी भी तरह की पालना नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलान्ट के निर्णय पारित कर दिया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में कानूनी एवं तथ्यपूर्ण गलती की है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है।

माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.08.2016 को अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.08.2018 को प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुआ था तथा प्रतिवादीगण को तलब किया जाने का आदेश

दिया गया था अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण शेष प्रतिवादीगण की तलबी में चल रहा था अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 16.03.2020 को माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.08.2016 की पालना हेतु तहसीलदार साहब झालरापाटन को आदेश भिजवाया गया था तथा प्रकरण पालना रिर्पोट के इन्तजार में चल रहा था तथा तलबी प्रतिवादीगण में चल रहा था शेष प्रतिवादीगण को रजिर्स्टड डाक से तलब किया जाने का आदेश भी था प्रतिवादीगण भी तलब नहीं की गई अधीनस्थ न्यायालय ने पालना रिर्पोट मंगाये बगैर प्रकरण में निर्णय कर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय की पालना किये बगैर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय पारित कर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में कानूनी एवं तथ्यपूर्ण गलती की है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.01.2012 एवं दिनांक 23.08.2016 की पालना किये बगैर ही निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना किसी आधार के निर्णय पारित कर दिया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में कानूनी एवं तथ्यपूर्ण गलती की है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण एवं उचित अवसर दिये बिना निर्णय पारित कर दिया जो कि अवैधानिक है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में कानूनी एवं तथ्यपूर्ण गलती की है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को बिना किसी आधार के बहस में नियत कर दिया तथा बिना बहस सुने ही मनमाने तरीके से निर्णय पारित कर दिया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में कानूनी एवं तथ्यपूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। प्रतिवादी नम्बर 19 का स्वंर्गवास एक साल पहले ही हो गया है। वादी ने प्रतिवादी नम्बर 19 के उत्तराधिकारीगण के बाबत कोई प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में नहीं दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय पारित कर दिया जो कि नलीटी है वादी ने तथ्यों को छुपाया है इस प्रकार इन कानूनी बिन्दुओं की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से कानूनी एवं तथ्यपूर्ण गलती की है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम बीरीयाखेडी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज०) की आराजी सम्वत 2063 से 2066 की खाता संख्या 136 की आराजी खसरा नम्बर 156 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 176 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 177 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 227 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 572 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 619 रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा कुल 06 किता रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा के बाबत दावा किया था। यह आराजी अपीलान्ट को कवरिया उर्फ कंवरलाल से मिली थी अपीलान्ट कंवरिया उर्फ कंवरलाल के गोद चला गया था इस बाबत इन्तकाल भी खुला था, अपीलांट का विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा भी है लेकिन रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 गलत रुप से अपीलान्ट की आराजी को हड़पने के लिये झूठा दावा किया है। इस कानूनी बिन्दू की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में कानूनी एवं तथ्यपूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.01.2023 को निर्णय पारित किया है । लेकिन डिकी बनाने का कोई निर्णय नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व से दिनांक 09.08.2010 निर्णय व प्रारम्भिक डिकी तथा दिनांक 14.09.2010 के निर्णय व अन्तिम डिकी को यथावत रखने के निर्णय पारित किया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया की अपीलीय न्यायालय ने इन दोनों निर्णय व डिकी को निरस्त कर दिया था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय की पालना किये बगैर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय पारित कर दिया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में कानूनी एवं तथ्यपूर्ण गलती की है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी कानून तथ्य एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अतः. निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकृत फरमायी जावे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.01.2023 निरस्त फरमायी जाये तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमान्ड फरमायी जाये तथा अपीलान्ट को सुनवाई का जवाबदेही व दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण एवं उचित अवसर प्रदान किये जावे ।

अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला अपील के लिये तहत आदेश 41 नियम 05 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी० पी० सी० एवं धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया कि उपरोक्त उनवान की अपील अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय में विधिवत रुप से प्रस्तुत कर दी है जिसमें अपीलान्ट को सफलता मिलने की पूरी आशा है इस कारण रेस्पोन्डेन्ट के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला अपील के लिये जारी होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में दावा

तलबी प्रतिवादीगण में चल रहा था तथा अपील के निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार सा० झालरापाटन से पालना रिपोर्ट मंगाने हेतु नियत था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय अपील न्यायालय के निर्णय को नहीं मानते हुये निर्णय पारित कर दिया अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णयों को नही देखा। इस कानूनी बिन्दु की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया लेकिन रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 01 लगायत 06 ने गलत रुप से अपीलान्ट की आराजी को हड़पना चाहते है इस तथ्य की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने मे कानूनी एवं तथ्यपूर्ण गलती की है जिसको आधार बनाकर रेस्पेन्डेन्ट्स आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है तथा रेस्पोन्डेन्ट्स विवादग्रस्त आराजी का बेचान करना चाहते है । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय का कियान्वयन ताफैसला अपील के लिये स्थगित होने योग्य है तथा रेस्पोन्डेन्ट्स को विवादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा नहीं करने तथा विवादग्रस्त आराजी का बेचान नहीं करने के आदेश प्रदान फरमाया जावे तथा मौके पर कब्जे की यथास्थिति बनाये रखी जाने के आदेश प्रदान फरमाया जावे। अपीलान्ट का प्राईमा फेसी केस है। सुविधाओं का संतुलन अपीलान्ट के पक्ष में है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी का कियान्वयन ताफैसला अपील के लिये स्थगित होने योग्य है ।

अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अपीलान्ट स्वीकृत फरमायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय का कियान्वयन ताफैसला अपील के लिये स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान फरमाया जावे तथा मौके पर अपीलान्ट के कब्जे की यथास्थिति तथा रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने के आदेश प्रदान फरमाया जावे तथा रेस्पोन्डेन्ट्स को विवादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा नहीं करने तथा विवादग्रस्त आराजी का बेचान नहीं करने के आदेश प्रदान फरमाया जावे तथा अन्य जो भी सहायता इस अपील मे अपीलान्ट को प्रदान किया जाना सभंव हो वह प्रदान फरमायी जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि निर्णय दिनांक 12.01.2012 को प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा पेश किये गये जबाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम करें और यदि इन तनकीयात के बाबत पक्षकारान कुछ अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना चाहता है तो उन्हे अतिरिक्त साक्ष्य पेश किये जाने का अवसर प्रदान किया जा कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड की आदेशिका दिनांक 15.03.2012 को पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई, आदेशिका दिनांक 09.04.2012 को अतिरिक्त तनकीयात कायम नहीं की जा सकती, पत्रावली दिनांक 30.04.2012 को पेश हो। आदेशिका दिनांक 15.05.2012 को तनकीयात कायम नहीं की जा सकी, आदेशिका दिनांक 28.05.2012 को प्रतिवादी कम 2 की ओर से श्री संजय सक्सैना एडवोकेट ने वकालतनामा फर्द के साथ शपथ पत्र व प्रार्थना पत्र धारा 144 सी पी सी पेश कर अंकित किया कि नामान्तरकरण संख्या 592 दिनांक 28.02.2011 निरस्त कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड के निर्णय व डिकी दिनांक 09.08.2010 से पूर्व की स्थिति रेकार्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड ने निर्णय दिनांक 27.09.2012 को प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज कर दिया। आदेशिका दिनांक 07. 11.2012 व 21.11.2012 को तनकीयात कायम नहीं की जा सकी, में पत्रावली चल रही थी तब तक पत्रावली में तनकीयात बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी दौरान प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा प्रस्तुत धारा 144 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज करने पर न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी में प्रार्थना पत्र के निर्णय दिनांक 27.09.2012 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई जिसे इस न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए दिनांक 23.08.2016 को निर्णय पारित किया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.01.2012 व निर्णय दिनांक 23.08.2016 दोनों ही निर्णयों की पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई। अपील के बिंदु संख्या 9 में प्रतिवादी नम्बर 19 सीताबाई आत्मज नारायण का स्वर्गवास एक साल पहले हो गया का अंकन है। प्रतिवादी नम्बर 19 सीताबाई आत्मज नारायण के कायम मुकामान की कार्यवाही भी वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नहीं की गई।।

अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी 1 लगायत 19 की सहखातेदारी की भूमि है। वादी रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जिसका जितना हिस्सा बनता है उतना कर दिया जाये। केवल विभाजन का वाद था। प्रतिवादी ने जबाबदावे में दत्तक के कम में कथन किया परन्तु जमाबंदी में दत्तक के विषय में कुछ नहीं लिखा। साक्ष्य एक्ट धारा–91 के अनुसार मौखिक साक्ष्य मान्य नहीं है, यदि दस्तावेजी साक्ष्य है तो पेश करना चाहिये था। प्रतिवादीगण का दत्तक का वाद सिविल न्यायालय में पेंडिग है। प्रकरण रिमाण्ड होने

पर पक्षकारान की तलवी की कोई आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उभयपक्षकारान को अपीलीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया जाता है। अतः पक्षकारान को स्वयं इसका ध्यान रखना चाहिये ।

- अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 08.10.2007 को एक वाद वाद संख्या 53/2009 उनवान छीतरलाल बनाम रत्तीराम अन्तर्गत धारा 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि ग्राम बिरियाखेड़ी की आराजी कुल 6 किता की 15 बीघा 11 बिस्वा आराजी वादी व प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की आराजी है। जिसमें वादी अपने हिस्से का पृथक से बंटवारा कराना चाहता है और प्रतिवादीगण 1 लगायत 19 विवादित आराजी का कानूनन बंटवारा नहीं चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय दिनांक 09.08.2010 के अनुसार दावा वादी स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया। विवादित आराजी में अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी का बटवार किया जाकर 1/3 हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी 17, 18, 19 के पृथक खाते दर्ज करने हेतु तहसीलदार झालरापाटन को बंटवारा प्रस्ताव भिजवाये जाने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार झालरापाटन से दिनांक 13.09.2010 को बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के बाद उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ द्वारा दिनांक 14.09.2010 को फाईनल डिक्री पारित की गई।

- अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 9.08.2010 एवं फाइनल डिक्री 14.09.2010 के विरूद्ध मोहनलाल पुत्र दयाराम दत्तक पुत्र कंवरलाल इस न्यायालय में अपील लेकर आया। अपील संख्या 261/2011 तथा अपील संख्या 450/2011 में निर्णय दिनांक 12.01.2012 को प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा पेश किये गये जबाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम करें और यदि इन तनकीयात के बाबत पक्षकारान कुछ अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना चाहता है तो उन्हे अतिरिक्त साक्ष्य पेश किये जाने का अवसर प्रदान किया जा कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे। साथ ही दावे में की तकनीकी खामियां जो पैरा संख्या 9 में उल्लेखित की गई है उनको भी संशोधित किया जावे। पत्रावली पर मोहनलाल के बयान शामिल है परन्तु इसमें डी. डब्लू नम्बर नहीं है। इस पर भी डी. डब्लू नम्बर अंकित किया जावें।

- निर्णय दिनांक 12.01.2012 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ में आदेशिका दिनांक 15.03.2012 को पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई, आदेशिका दिनांक 09.04.2012 को अतिरिक्त तनकीयात कायम नहीं की जा सकती, पत्रावली दिनांक 30.04.2012 को पेश हो। आदेशिका दिनांक 15.05.2012 को तनकीयात कायम नहीं की जा सकी, आदेशिका दिनांक 28.05.2012 को प्रतिवादी कम 2 की ओर से श्री संजय सक्सैना एडवोकेट ने वकालतनामा फर्द के साथ शपथ पत्र व प्रार्थना पत्र धारा 144 सी पी सी पेश कर अंकित किया कि नामान्तरकरण संख्या 592 दिनांक 28.02.2011 निरस्त कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.08.2010 से पूर्व की स्थिति रेकार्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड ने निर्णय दिनांक 27.09.2012 को प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज कर दिया।

- निर्णय दिनांक 27.09.2012 के विरुद्व प्रतिवादी नम्बर 2 मोहन पुत्र दयाराम दत्तक पुत्र कंवरलाल ने पुनः इस न्यायालय में अपील पेश कर दी जिसकी अपील संख्या 24/2013 उनवान मोहनलाल बनाम छीतरलाल है। उक्त अपील में निर्णय दिनांक 23.08.2016 को पारित किया कि अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.09.2018 अपास्त किया साथ ही अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड का पूर्व निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.08.2010 एवं फाईनल डिक्री 14.09.2010 की अनुपालना में खोले गऐ इन्तकाल से पूर्व की स्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान किय गये।

- अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड में दिनांक 31.08.2018 द्वारा प्रकरण में पत्रावली पेश कर आगे की कार्यवाही हेतु दर्ज की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड द्वारा दिनांक 11.01.2023 को निर्णय पारित किया परन्तु कियात्मक आदेश नहीं सुनाया केवल तनकी नम्बर 2 का निर्णय सुनाकर आदेश पारित किया कि कुल 6 किता की 15 बीघा 11 बिस्वा विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी का बंटवारा वादी व प्रतिवादी 17, 18, 19 के पृथक खाते दर्ज करने हेतु इस न्यायालय के पूर्व निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 9.08.2010 एवं फाईनल डिक्री दिनांक 14.09.2010 में किसी भी प्रकार संशोधन करना उचित नहीं समझते है। अतः इस न्यायालय का पूर्व निर्णय व प्राथमिक डिक्री एवं फाईनल डिक्री आदेश यथावत रहेगा।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा **न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा पारित दोनों आदेशों निर्णय दिनांक 12.01.2012 व निर्णय दिनांक 23.08.2016 की पालना भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई** । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिरिक्त तनकीयात कायम नहीं की गई और न ही कियात्मक आदेश पारित किया गया है। अतः प्रकरण को हम अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.01.2023 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादी नम्बर 19 के कायममुकाम की कार्यवाही की जाकर तथा उभयपक्षकारान को सी. पी. सी के आदेश 5 के प्रावधानों के अनुसार सम्मन की तामील करते हुए, सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किया जाये साथ ही राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए उभयपक्षकारों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाकर **इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 12.01.2012 एवं 23.08.2016 की पालना सुनिश्चित करते हुए पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें।** उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के न्यायालय में दिनांक 20.03.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/02/2024

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा